राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3058/2023

दीपिका जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, डिवीजन उदयपुर (राज.)।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर।
7. चेतराम मीणा, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय विषय सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, Khervan Nayagav, उदयपुर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.10.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 6, विजय सिंह पथिक नगर, Savina, उदयपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 15.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.09.2023 को कार्यग्रहण किया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया। जबकि वह सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापक है और उसे सामाजिक अध्ययन के पद पर पदस्थापित

किया गया है। जबकि अपीलार्थी पूर्व से ही कार्यरत है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7277/2006 नरेश कोली बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2006 जिसमें ऐसे स्थानान्तरणों को अनुचित माना है। इसी प्रकार अपील संख्या 2647/2021 शशि राणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, अपील संख्या 2797/2023 सुनीता सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2022 एवं 16.08.2023 में भी अधिकरण द्वारा ऐसे स्थानान्तरणों को उचित नहीं माना है। अपीलार्थी टी.बी. स्टूल समस्या से विगत तीन वर्षों से परेशान हो रहा है, जिसका उपचार भी गीताजंलि मेडिकल चिकित्सालय, उदयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी एकल महिला है, जिसका यूरोलॉजी विशेषज्ञ द्वारा उपचार चल रहा है। परंतु अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पदस्थापित किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश जारी किए जाने समय सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा था, इसलिए पद रिक्त मानते हुए उसे निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 का पदस्थापन आदेश जारी किया गया है और अपीलार्थी के कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति विभागीय पोर्टल शाला दर्पण के माध्यम से नहीं की गई, जिसके कारण पोर्टल पर उक्त पद रिक्त प्रदर्शित होने के कारण पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर विषय सामाजिक अध्ययन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 6 विजय सिंह पथिक नगर, Savina, उदयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 को पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। जबकि उक्त पद पर अपीलार्थी पूर्व से ही कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के

इस तर्क से हम सहमत हैं कि अपीलार्थी का कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति विभागीय पोर्टल शाला दर्पण के माध्यम से नहीं की गई, जिसके कारण उक्त पद रिक्त प्रदर्शित होने से निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 का पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। जबकि उक्त पद पर पूर्व से ही अपीलार्थी कार्यरत है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस आदेश के जारी होने के दो सप्ताह में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि मामले की वर्तमान स्थिति एवं अपीलार्थी के पदस्थापन को ध्यान में रखते हुए निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 का उचित रूप से पदस्थापन करते हुए नियमानुसार राज्य सरकार के नियमों एवं परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन का एक माह में निस्तारण करें तथा जिसकी सम्यक् अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य